UPMZ010057262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3069 सन 2026

1. सुनील कुमार पुत्र सुरेश चन्द
2. आयूष पुत्र सुनील कुमार
3. श्रीमती सीमा पत्नी सुनील कुमार

निवासीगण ग्राम सिमर्थी थाना छपार
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—111 सन 2026
धारा —333, 115 (2), 352, 351 (3)
भारतीय न्याय संहिता
थाना—छपार
जनपद— मुजफ्फरनगर

22.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से थाना छपार के अपराध संख्या—111 सन 2026 धारा—333, 115 (2), 352, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उन्हे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी घटना के सात दिन बाद देरी से लिखायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिजनों के विरूद्व अपराध संख्या 103 सन 2026 धारा 109 (1) 333, 115 (2) भारतीय न्याय संहिता दिनांक 22.05.2026 को थाना छपार पर दर्ज कराया गया था। इसी मामले मे दबाव बनाने के लिये व फैसला करने के आशय से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह भी कहा गया है कि कथित चुटैल को साधारण प्रकार की चोटें आयी हैं तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण व दिनांक 20.05.2026 को वादी मुकदमा द्वारा

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.22 17:40:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पहुचायी गयी चोटों के कारण मुजफफरनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर अपना उपचार करा रहे थे।

अंत में कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण सम्मानित परिवार के हैं तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, अपराध संख्या 103 सन 2025 की चिक एफआईआर की प्रति तथा चुटैल सुनील कुमार व आयूष की चिकित्सीय परीक्षण आख्या की प्रति दाखिल की गयी है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा प्रमोद कुमार द्वारा घटना दिनांकित 20.05.2026 समय 5.30 बजे के संबंध में दिनांक 27.05.2026 को समय 18:22 बजे थाना छपार पर प्राथमिकी इस आशय की अंकित करायी गयी कि दिनांक 20.05.2026 को समय 5.30 बजे सुबह उसके घर पर सुनील कुमार व उसके पुत्र आयूष तथा पत्नी सीमा व उसके परिजनों ने उन पर सोते समय वारदात कर हमला किया व उसके साथ तथा दोनों पुत्रों दीपक व सोनू की लाठी डंडो से मारपीट की जिससे उसे तथा उसके पुत्रों को काफी चोटें आयी। अभियुक्तगण गाली गलौज करते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

6. अभियोजन कथानक अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व वादी मुकदमा व उसके परिजनों के साथ मारपीट कर चोटे पहुंचाने का आरोप बताया गया है।

केस डायरी में चुटैल प्रमोद को आयी चोटों के संबंध में तस्करा किया गया है जिसके अनुसार चुटैल प्रमोद को 6 चोटें जिनमें से चोट संख्या 1, 2 व 6 को एक्स–रे के लिये एडवाईस किया गया था तथा शेष चोटों को साधारण बताया गया है। चुटैल दीपक को 4 चोटें जिनमें चोट संख्या 1 को एक्सरे के लिये एडवाईस किया गया था तथा शेष चोटों को साधार बताया गया है एवं इसी प्रकार चुटैल सोनू को तीन चोटें जिनमें चोट संख्या 2 को एक्सरे के लिये एडवाईस किया जाना उल्लिखित किया गया है।

आरोपित धाराएं सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं। अभियोजन की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **सुनील कुमार पुत्र सुरेश चन्द, आयूष पुत्र सुनील कुमार व श्रीमती सीमा पत्नी सुनील कुमार** को अंतर्गत अपराध संख्या–111 सन 2026 धारा–333, 115 (2), 352, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में प्रत्येक के द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास हजार–पचास हजार रूपये के दो दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयेाग करेंगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होंगे।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेंगे।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करेंगे–''अभियुक्तगण विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।''

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेंगे कि, वे विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेंगे। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः **22**.06.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर